न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 258/2013

उनवान

1 विमला पुत्री रामेश्वर छीपा पत्नि कुन्ज बिहारी,नि.कंवलियास तह. हुरडा –वादीया

बनाम

1 सत्यनारायण मुतबन्ना बरदा छीपा, नि0 कासोरिया, तहसील बनेडा ।
2 श्रीमति सीमा पुत्री रामेश्वर पत्नि कालुराम टेलर , निवासी झडाव तहसील रीया जिला– नागौर,
3 सोहन पिता मिश्री छीपा, निवासी सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा
4– शान्तिलाल पिता मिश्री छीपा, सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा
5– मदन पिता मिश्री छीपा, सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा
6– प्रेमचन्द पिता मिश्री छीपा, सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा
7– श्रीमति रामकन्या पुत्री मिश्री पत्नि हरलाल सरवा, निवासी लाकोला तहसील माण्डल जिला– भीलवाडा ।
8– श्रीमति गीता पुत्री मिश्री पत्नि श्यामलाल हरगण निवासी हमीरगढ जिला–भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता वकील वादी
श्री दिनेश तिवाडी वकील प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1 वादीया के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम आगुँचा पटवार हल्का आगुँचा तहसील हुरडा में जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 की खाता संख्या– 641 आरजी नम्बर– 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा स्थित है जो मिश्रीलाल पिता छोगा छीपा के नाम दर्ज थी ।

Scanned by CamScanner

2 ग्राम आगुँचा तहसील हुरडा में जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 की खाता संख्या– 642 आराजी नम्बर– 1778 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा स्थित है, जो मिश्रीलाल, बरदा पुत्रान छोगा छीपा के नाम दर्ज थी ।

3 प्रतिवादी नम्बर– 1 के श्री बरदा पिता छोगा के गोद चले जाने से श्री बदरा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का खाता आराजी नम्बर– 5301 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का मुतबन्ना लडके की हैसियत से प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम पर खुला जिसका इन्द्राज सम्वत् 2045 से 2048 की जामबन्दी में दर्ज है जिससे ये स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर– 1 बदरा का गोद पुत्र है इसलिए उसका भी बरदा के भाई मिश्री के खाते की आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही रहता है और न मिश्री के किसी भी हक हिस्से की आराजी पर उसका कब्जा ही है ।

4 उक्त सजरे की रुह से वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/14, प्रतिवादीया नम्बर– 2 का 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर– 3 से 8 का प्रत्येक का 1/7 हक हिस्सा निहित है । सत्यनारायण बरदा के गोद चले जाने से उसका उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही रहा और इसी प्रकार श्रीमति शान्ति पत्नि रामेश्वर के फोत हो जाने से उसका हिस्सा वादीया प्रतिवादीया नम्बर– 2 में मर्ज होकर उनका प्रत्येक का 1/14 हिस्सा व 1/14 हिस्सा (दोनो का सम्मिलित रुप से 1/7) है और इसी हक हिस्से से वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5 इसी प्रकार उक्त सजरे की रुह से वादपत्र की कलम नम्बर– 2 में वर्णित आराजीयात में मिश्री के 1/2 हिस्से की आराजी में वादीया का 1/28, प्रतिवादी नम्बर– 2 का 1/28 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर– 3 से 8 का प्रत्येक का 1/14 हक हिस्सा निहित है और सत्यनारायण बरदा के गोद चले जाने से उसका मिश्री की आराजी में कोई हक हिस्सा नही रहा और इसी प्रकार श्रीमति शान्ति पत्नि रामेश्वर के फौत हो जाने से उसका हिस्सा वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 में मर्ज होकर उनका प्रत्येक का 1/28 हिस्सा व 1/28 (दोनो का सम्मिलित रुप से 1/14) है और इसी हक हिस्से से वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है । प्रतिवादी नम्बर– 1 के बरदा के गोद चले जाने से बरदा के 1/2 हिस्से की आराजी का इन्तकाल प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम खुला ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

6 उपरोक्त कारणों से वादपत्र की कलम नम्बर– 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर–1 का नाम निरस्त किया जा कर उसका हिस्सा वादीया प्रतिवादीया नम्बर– 2 में मर्ज हो जाने से वादपत्र की कलम नम्बर–1 में वर्णित आराजी में वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 का 1/7 हिस्सा व वादपत्र की कलम नम्बर– 2 में वर्णित आराजीयात में वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 का 1/14 हिस्सा वादीया व प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम दर्ज होना आवश्यक हे जिसके लिए वादीया खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की

Scanned by CamScanner

अधिकारिणी है ।

7 मिश्री के हिस्से की आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर– 1 का नाम दर्ज हो जाने से वो अपने खाते के बल पर उक्त आराजीयात को दिगर को विकय / अन्तरण व उसका पंजीयन करने कराने पर उतारु है और मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु होता है और वाबजूद तकाजा उक्त आराजीयात को वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 के खाते में दर्ज कराने से इन्कार है और यह रवैया उनहोनें दिनांक 15.07.2013 से जारी कर रखा है जो कृत्य उसका अवैध व नाजायज होने से इससे रुके रहने बाबत उसको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्ययहित में है वरना वादीगण को अपने हक उपभोग की आरजीयात से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

8 उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर– 3 से 8 को सहखातेदार होने से पक्षकार कायम किये गए है एवं उनके खिलाफ कोई दादरसी नही चाही गई है ।

9 वादीया को बिनाय मुखसमत दावा दिनांक 15.07.2013 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

10 अन्त में अंकित किया कि वादपत्र की कलम नम्बर– 1 व 2 में विर्णत आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर– 1 का नाम निरस्त करते हुये उसके हिस्से की आराजी को वादीया प्रतिवादीया नम्बर– 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया व प्रतिवादीया नम्बर–2 खिलाफ प्रतिवादी नम्बर– 1 सादिर फरमाई जावें । बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी नम्बर–1 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वो वादपत्र की कलम नम्बर– 1 व 2 में वर्णित उसके हिस्से की आरजीयात को दिगर को विकय / अन्तरण एवं उसका पंजीयन करने कराने से रुका रहे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11 प्रस्तुत बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 10.03.2014 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 3, 4, 5, 6, 8 बावजूद सूचना के गेरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 07.10.2013 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रामदयाल जाट के वकालतनामा प्रस्तुत किया गया , किन्तु उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया । वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 7 के विरुद्ध कार्यवाही नही चाहने से प्रतिवादी संख्या– 7 के विरुद्ध कार्यवाही दिनांक 03.04.2017 को कार्यवाही बन्द की गई ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

12 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम

Scanned by CamScanner

बहस सुने जाने पर सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात मिश्री लाल पिता छोगा छीपा के समय की है । प्रतिवादी संख्या– 1 सत्यनारायण बरदा पिता छीपा के गोद चले जाने से उसकी विरासत का खाता गोद पुत्र की हैसियत से प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम खोल चूका है । जिसकी जमाबन्दी प्रस्तुत की है । इसलिये मिश्रीलाल के खाते की आराजीयात में अब कोई उसका हक अधिकार नही रहता है । श्रीमति शान्ति पत्नि रामेश्वर के फौत हो जाने से उसका हिस्सा वादीया व प्रतिवादीया नम्बर– 2 में गर्ज होकर प्रत्येक का 1/14 हिस्सा है और इसी हक हिस्से से वादीया व प्रतिवादी नम्बर– 2 का कब्जाकाश्त व उपभोग चला आ रहा है । अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या– 1 सत्यनारायण का नाम निरस्त किया जाकर उसका हिस्सा वादीया व प्रतिवादीया – 2 में गर्ज हो जाने से वादीया व प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम 1/14 हक हिस्सा दर्ज करवाया जावें तथा वादीया को खातेदार घोषित फरमाया जावें । वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मिश्रीलाल पिता छोगा के अकेले के नाम गलत तौर से दर्ज हुई है। हाल आराजी के साबिक नम्बर– 1763/2 व 1962/9 थे । उक्त साबिक आराजीयात वादीया व प्रतिवादी संख्या– 2 व 8 के मिश्री व बरदा के पूर्वज गोरु उर्फ गहरु वल्द नारायण के जमाने की होकर बटवारें से गोरु पिता छोगा का हिस्सा छोगा के वारिसान बरदा व मिश्री के नाम समान रुप से दर्ज होना चाहिये था । मगर वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 8 के पूर्वज मिश्री ने अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा ली । जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या– 1 ने पृथम से वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है । वादग्रस्त आराजीयात जो वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित है जो बरदा के निधन के बाद से 1/2 हक हिस्सा पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है शेष 1/2 हक हिस्से पर मिश्री के वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है । अन्त में कथन किया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या– 2 से 8 ने मिलकर यह झूठा एवं गलत वादपत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज योग्य है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13 मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

14 वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 मौजा आगुँचा तहसील हुरडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि मिश्री लाल पिता छोगा जाति छीपा साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तथा आराजी नम्बर– 1778 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि मिश्री , बरदा, छोगा, साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तथा विरासत से बरदा के बजाय सत्यनारायण मृतबन्ना बरदा ना.बा.बे.बि. मुस्तात माता शान्ति बेवा रामेश्वर छीपा का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 मौजा आगुँचा प्रथम के अनुसार वादग्रस्त आराजी 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

भूमि मिश्री लाल पिता छोगा जाति छीपा साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तरकरण 5315 दिनांक 20.12.2012 मिश्रीलाल के बजाय सत्यनारायण पिता रामेश्वर, सीमा, विमला, पुत्री रामेश्वर , शान्ति बेवा रामेश्वर सोहन मदनलाल, प्रेम चन्द्र, शान्ति लाल पिता मिश्री , रामकन्या, गीता, पुत्री मिश्री , छाउ बेवा मिश्री का नाम तथा नामान्तकरण संख्या– 5488 विरासत से शान्ति बेवा रामेश्वर के बजाय सत्यनारायण पिता रामेश्वर, सीमा, विमला, पुत्री रामेश्वर के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। तथा आराजी नम्बर– 1758 रकबा 01 बीघा भूमि मिश्री पिता छोगा , सत्यनारायण मुतबन्ना बरदा, ना.बा.ब.बि. मुस्मात माता शान्ति बेवा रामेश्वर के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से 5315 दिनांक 20.12.2012 मिश्रीलाल के बजाय सत्यनारायण पिता रामेश्वर, सीमा, विमला, पुत्री रामेश्वर , शान्ति बेवा रामेश्वर सोहन मदनलाल, प्रेम चन्द्र, शान्ति लाल पिता मिश्री , रामकन्या, गीता, पुत्री मिश्री , छाउ बेवा मिश्री का नाम तथा नामान्तकरण संख्या– 5488 विरासत से शान्ति बेवा रामेश्वर के बजाय सत्यनारायण पिता रामेश्वर, सीमा, विमला, पुत्री रामेश्वर के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

15 यहॉ वादीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि मिश्री लाल पिता छोगा के नाम दर्ज थी, मिश्री का पोत्र सत्यनारायण बरदा के गोद चले जाने से उसका मिश्रीलाल के हक हिस्से की आराजीयात में कोई हिस्सा न होते हुये भी हाल राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज कर दिया गया है जिसे हटाया जावें । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 मोजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 5301 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि सत्यनारायण मुतबन्ना बरदा ना.बा.ब.बि. माता शान्ति बेवा रामेश्वर कौम छीपा साकिन आगुँचा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । उक्त जमाबन्दी से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या– 1 सत्यनारायण बरदा के गोद चले जाने से बरदा की हिस्से की आराजीयात में उसका विरासती नामान्तकरण खोला जाकर जमाबन्दी में अंकन हो चूका है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–1 सत्यनारायण का मिश्री लाल की हक हिस्से की आराजीयात में कोई अधिकार शेष नही रहता है । चुँकि मृतक खातेदार मिश्री लाल के पुत्र रामेश्वर उसका पुत्र सत्यनारायण बरदा पिता छोगा के गोद चले जाने से रामेश्वर के हक हिस्से की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या–1 का कोई हक हिस्सा नही रहता हैं। उसके उपरान्त भी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा हाल राजस्व रिकार्ड में मिश्री लाल की विरासत खोलते वक्त सत्यनारायण का नाम भी दर्ज कर दिया गया है जो गलत रुप से अंकन किया जाना प्रकट हुआ है । तद्नुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा आगुँचा तहसील

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुरडा की आराजी नम्बर– 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा तथा आराजी नम्बर– 1778 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि के खातेदार सत्यनारायण पिता रामेश्वर, का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसके हक हिस्से की आराजीयात विमला , सीमा पुत्री रामेश्वर छीपा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें । तद्नुसार डिक्री मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner